Henry Ford Rochester Hospital

वित्तीय सहायता नीति का सारांश

ऊपर सूचीबद्ध स्वास्थ्य मंत्रालयों सहित Henry Ford Rochester Hospital स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्राप्त करने में बाधाओं का सामना करने वाले व्यक्तियों के प्रति विशेष चिंता के साथ, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा के प्रति वचनबद्ध है और इसका सम्मान करता है। Henry Ford Rochester Hospital अपने स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों को संपूर्ण समुदाय के लिए सेवा के रूप में प्रबंधित करने के प्रति भी समान रूप से वचनबद्ध है। इन सिद्धांतों को आगे ले जाते हुए Henry Ford Rochester Hospital ऐसे कुछ व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिन्हें Henry Ford Rochester Hospital में आपातकालीन और चिकित्सीय रूप से आवश्यक अन्य देखभाल प्राप्त होती है। यह सारांश Henry Ford Rochester Hospital की वित्तीय सहायता नीति का संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है।

कौन योग्य है?

अगर आप डेट्राइट शहर, वेन, मैकोम्ब, ओकलैंड और सेंट क्लेयर काउंटी में रहते हैं, तो आप शायद वित्तीय सहायता पा सकते हैं। वित्तीय सहायता का निर्धारण आम तौर पर संघीय गरीबी के स्तर की तुलना आपकी कुल घरेलू आय से करके किया जाता है। यदि आपकी आय संघीय गरीबी स्तर के 250% से कम या इसके बराबर है, तो आपको उन शुल्कों के भाग पर 100% चैरिटी देखभाल राइट-ऑफ मिल सकता है, जिसके लिए आप जिम्मेदार हैं। अगर आपकी आय संघीय गरीबी के स्तर के 250% से अधिक है पर संघीय गरीबी के स्तर के 400% से अधिक नहीं है, तो आप को विसर्पी पैमाने (स्लाइडिंग स्केल) पर रियायती दरें प्राप्त हो सकती हैं। यदि आपातकालीन और चिकित्सीय रूप से आवश्यक देखभाल के लिए आपका चिकित्सीय कर्ज आपकी आय से अधिक है, तो आप छूट के पात्र हो सकते हैं। यदि आपकी संपत्ति संघीय गरीबी स्तर आय राशि के 250% से ज्यादा है, तो संभवतः आप वित्तीय सहायता के लिए पात्र ना रहें। मरीज़ जो वित्तीय सहायता के लिए योग्य हैं, उनसे उपयुक्त इलाज के लिए बीमा कवरेज वाले मरीज़ों से आम तौर पर लिए जाने वाले शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा।

कौन सी सेवाएँ शामिल हैं?

वित्तीय सहायता नीति आपातकाल और अन्य आवश्यक चिकित्सकीय देखभाल पर लागू होती है। इन शर्तों को वित्तीय सहायता नीति में परिभाषित किया गया है। अन्य सभी सेवाएँ वित्तीय सहायता नीति में शामिल नहीं हैं।

मैं कैसे आवेदन कर सकता/सकती हूँ?

वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के लिए, आप आमतौर पर वित्तीय सहायता नीति में दिए अनुसार एक लिखित आवेदन को पूरा करेंगे और साथ में सहायक दस्तावेज़ पेश करेंगे और वित्तीय सहायता नीति आवेदन देंगे।

मुझे एक आवेदन के साथ मदद कैसे मिल सकती है?

वित्तीय सहायता नीति हेतु आवेदन में मदद के लिए आप वित्तीय परामर्श विभाग से 877-348-7072 पर संपर्क कर सकते हैं।

मैं अधिक जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता/सकती हूँ?

वित्तीय सहायता नीति और वित्तीय सहायता नीति आवेदन पत्र की प्रतियाँ https://www.henryford.com/visitors/billing/financial-assistance पर और Henry Ford Rochester Hospital की स्थापनाओं के मुख्य पंजीकरण कार्यालयों में उपलब्ध हैं। वित्तीय सहायता नीति और वित्तीय सहायता नीति आवेदन पत्र की निःशुल्क प्रतियाँ नीचे प्रदत्त पते पर डाक द्वारा लिखित निवेदन भेजकर भी प्राप्त की जा सकती हैं। वित्तीय सहायता नीति के बारे में अतिरिक्त जानकारी मुख्य पंजीकरण पर या 877-348-7072 र कॉल करके भी उपलब्ध है।

<u>अगर मैं योग्य नहीं हूँ तो क्या होगा?</u>
अगर आप वित्तीय सहायता नीति के तहत वित्तीय सहायता के लिए योग्य नहीं हैं, तो आप अन्य प्रकार की सहायता के लिए योग्य हो सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कृपया Henry Ford Rochester Hospital के उस स्थान से 877-348-7072, विकल्प 3 पर फ़ोन करके संपर्क करें जहाँ आपको सेवा प्राप्त हुई।

वित्तीय सहायता निति, वित्तीय सहायता निति आवेदन और निर्देश, और इस सरल भाषा सारांश का अनुवाद निम्न भाषाओँ में हमारी वेबसाइट पर और अनुरोध किए जाने पर उपलब्ध है:

अरबी, फ़्रांसिसी, जर्मन, गुजराती, हिंदी, इतालवी, जापानी, कोरियाई, पॉलिश, रूसी, सर्बो-क्रोएशियाई, स्पेनिश, टेगलॉग, उर्दू, और वियतनामी